उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी (नैनीताल)

UTTARAKHAND OPEN UNIVERSITY, HALDWANI (NAINITAL)

पत्रांक:यू0ओ0यू0/परीक्षा/411(12)/2020/1567 — दिनांक 05/10/2020

माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 29 सितम्बर 2020 को सम्पन्न परीक्षा समिति की 12वीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया:–

1. प्रो0 ओम प्रकाश सिंह नेगी, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय - अध्यक्ष
2. प्रो0 एल0के0 सिंह, प्रबन्ध अध्ययन विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय परिसर, भीमताल - सदस्य
3. प्रो0 पी0एस0 बिष्ट, भौतिक विज्ञान विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय,एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोड़ा - सदस्य
4. प्रो0 एच0पी0 शुक्ल,निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी - सदस्य
5. प्रो0 आर0सी0 मिश्र,निदेशक,प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य वि0शा0,उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी - सदस्य
6. प्रो0 गोविन्द सिंह,निदेशक,पत्रकारिता एवं मिडिया अध्ययन विद्याशाखा,उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी - सदस्य
7. प्रो0 गिरिजा पाण्डे , निदेशक, समाज विज्ञान वि0शा0 , उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी - सदस्य
8. प्रो0 दुर्गेश पंत,निदेशक,कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा,उ0मु0वि0वि0,हल्द्वानी - सदस्य
9. प्रो0 पी0डी0 पंत,परीक्षा नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी - सदस्य सचिव
10. कुलसचिव, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी - आमंत्रीत सदस्य
11. वित्त नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी - आमंत्रीत सदस्य
12. उपकुलसचिव, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी - आमंत्रीत सदस्य
13. डा0 जितेन्द्र पाण्डे, सहायक प्राध्यापक, कम्प्यूटर साइंस , उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी - आमंत्रीत सदस्य
14. डा0 मौ0 अकरम, सहायक परीक्षा नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी - आमंत्रीत सदस्य
15. डा0 कल्पना पाटनी, सहायक परीक्षा नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी - आमंत्रीत सदस्य
16. श्री पंकज कुमार, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, (परीक्षा) उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी - आमंत्रीत सदस्य
17. श्री जितेन्द्र द्विवेदी, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी - आमंत्रीत सदस्य
18. श्री नवनीत महरा,तकनिकी परामर्शदाता , उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी - आमंत्रीत सदस्य

सर्वप्रथम परीक्षा नियंत्रक (सदस्य सचिव, परीक्षा समिति) द्वारा कुलपति (अध्यक्ष, परीक्षा समिति) तथा सभी उपस्थित सदस्यों का परीक्षा समिति की 11वीं बैठक में स्वागत किया गया। परीक्षा नियंत्रक ने विशेषरूप से समिति की बैठक में उपस्थित वाह्य सदस्य प्रोफेसर एल0के0सिंह एवं पी0एस0 बिष्ट का धन्यवाद किया।

तदुपरान्त परीक्षा नियंत्रक द्वारा संबंधित प्रस्तावों पर विचार हेतु सदस्यों को आमंत्रित किया जिस पर बैठक में प्रस्तावार चर्चा की गयी तथा निम्न संस्तुति प्रदान की गई :

परीक्षा नियन्त्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड

प्रस्ताव–12.1 11वीं बैठक दिनांक 20 मई 2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि

परीक्षा समिति की 11वीं बैठक दिनांक 20 मई 2020 के कार्यवृत्त का परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया।

प्रस्ताव–12.2 परीक्षा समिति की 11वीं बैठक दिनांक 20 मई 2020 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही

परीक्षा समिति की दसवीं बैठक दिनांक 20 मई 2020 की कृत कार्यवाही की जानकारी परीक्षा नियंत्रक द्वारा समिति को विस्तृत रूप में दी गई जिसका समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव–12.3 कोविड–19 महामारी के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा सितम्बर माह में केवल अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर के परिक्षार्थियों की परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही है। उक्त के अतिरिक्त मध्यवर्ती वर्ष/सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को (Promote) प्रोन्नत किये जाने के संबंध ।

विश्वविद्यालय के ग्रीष्मकालीन सत्र सितम्बर 2020 के (अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को छोड़कर) मध्यवर्ती वर्ष/सेमेस्टर पाठ्यक्रमों से संबंधित (मुख्य/बैक/सुधार परीक्षा के) परीक्षार्थियों को निम्नानुसार प्रोन्नत **(Promote)** किये जाने पर समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई।

1. प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को सत्रीय कार्य में प्राप्त प्राप्तांक का 50 प्रतिशत व सत्रीय कार्य में प्राप्त अंकों को जोड़कर लिखित परीक्षा में अंक प्रदान किये जायेंगे।
2. अन्य वर्ष/सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को पूर्व परीक्षा के कुल प्राप्तांक का 50 प्रतिशत एवं वर्तमान परीक्षा के सत्रीय कार्य में विषयवार प्राप्तांक का 50 प्रतिशत जोड़कर लाभ दिया जायेगा

(उदाहरण के लिए)

पूर्व परीक्षा का कुल प्राप्तांक का प्रतिशत 60 है तो उसका 50 प्रतिशत हुआ – 30%
वर्तमान सत्रीय कार्य में विषयवार प्राप्तांक का प्रतिशत है 80 तो उसका 50 प्रतिशत हुआ – 40%
दोनों प्रतिशत का जोड़ हुआ 30 +40= 70 तो लिखित परीक्षा में अंक प्राप्त होंगे 80x70/100= 56 अंक

3. उपरोक्त परीक्षा से संबंधित जिन प्रश्नपत्रों में सत्रीय कार्य नही होते है (जैसे फाउंडेशन प्रश्नपत्र, मौखिक परीक्षा, प्रोजेक्ट, लघुशोध, निबन्ध व इत्यादि) उन्हें वर्तमान परीक्षा की लिखित परीक्षा में प्राप्त हुए कुल योग के प्रतिशत का 50 प्रतिशत एवं वर्तमान परीक्षा के सत्रीय कार्य के कुल योग के प्रतिशत का 50 प्रतिशत जोड़कर लाभ दिया जायेगा।

(उदाहरण के लिए)

वर्तमान परीक्षा के लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक 60% है तो उसका 50 प्रतिशत हुआ 30 %
वर्तमान परीक्षा के सत्रीय कार्य का कुल प्रतिशत है 80 तो उसक 50 प्रतिशत हुआ 40%
दोनों प्रतिशत का जोड़ हुआ 30+40=70 तो लिखित परीक्षा में अंक प्राप्त होंगे 100x70/100=70 अंक।

परीक्षा नियन्त्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड

प्रस्ताव–12.4 नकल (UFM) नियमों में बिन्दु 03 में परीक्षार्थी से दण्डरूप शुल्क लिये जाने एवं संबंधित परीक्षार्थी के स्थान पर दूसरे व्यक्ति के द्वारा परीक्षा दिये जाने पर नियम व्यवस्था बनाये जाने के संबंध में।

नकल (UFM) नियमों में बिन्दु 03 में सम्मिलित परीक्षार्थियों को दण्डरूप रू0 100/– शुल्क लेने के उपरांत चेतावनी के साथ परीक्षाफल घोषित किया जायेगा।

परीक्षा कक्ष में संबंधित परीक्षार्थी के स्थान पर यदि कोई दूसरा व्यक्ति पकड़ा जाता है तो संबंधित परीक्षार्थी पर नकल (UFM) नियम का बिन्दु क0स0 01 लागू होगा। परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष द्वारा दोनों पर सरकारी नियम के तहत धाखाधड़ी का केस दर्ज करते हुए पुलिस में FIR के साथ कार्यवाही किये जाने पर संस्तुति प्रदान की गई।

प्रस्ताव–12.5 दिसम्बर –2019 से संबंधित नकल प्रकरण (UFM) एवं शिकायती प्रकरण (Grievances Committee) के कार्यवृत्त पर अनुमोदन ।

समिति द्वारा नकल प्रकरण व शिकायती प्रकरण के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

प्रस्ताव–12.6 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य आवश्यकीय प्रस्ताव

1. विद्यार्थी/दूतावासों के आवेदन पर संबंधित की Transcript को विश्वविद्यालय स्तर से भेजे जाने हेतु पूर्व में निर्धारित शुल्क ₹ 500 को बढ़ाकर ₹ 700 किये जाने पर संबंधितों को Transcript विश्वविद्यालय स्तर से प्रेषित किये जाने हेतु समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई।
2. परीक्षा कार्य में संलग्न तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को रू0 500 की प्रोत्साहन राशि भुगतान की जाती है। वर्तमान में कोविड–19 महामारी के कारण परीक्षा कार्य हेतु क्षेत्र से बाहर जाने पर कार्मिकों को रहने व खाने इत्यादि समस्या उत्पन्न होने के कारण विशेष परिस्थिति में कुलपति महोदय द्वारा वर्तमान में संचालित हो रही माह सितम्बर 2020 की परीक्षाओं के परीक्षा कार्य में संलग्न तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को क्षेत्र से बाहर जाने पर रू0 1000/– प्रोत्साहन राशि भुगतान किये जाने पर सहमति प्रदान कर अनुमोदन दिये जाने के उपरान्त लागू किया गया। समिति इससे अवगत हुई।
3. कुलपति महोदय से प्राप्त अनुमोदन पर कोविड–19 महामारी पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा परीक्षा के सफल संचालन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा केन्द्रों को सेनेटाइजर व थर्मल मशीन हेतु पूर्ण परीक्षा के लिए लगभग रू0 5000 की धनराशि दी गई है, जिसका भुगतान बिल प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। समिति इससे अवगत हुई।

परीक्षा नियन्त्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड

4- कोविड–19 महामारी पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा परीक्षा आयोजन हेतु दिये गये निर्देशानुसार एक कक्ष में अधिकतम 20 परीक्षार्थी बैठाये जाने व एक सिटिंग छोड़कर व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। इसी क्रम पर वर्तमान में संचालित हो रही माह सितम्बर 2020 की परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों में कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था निम्नानुसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है

- एक पाली में छात्र सं0 20 तक न्यूनतम 2 कक्ष निरीक्षक/आरक्षित कक्ष निरीक्षक तथा इसके उपरान्त छात्र संख्या प्रत्येक 20 पर एक अतिरिक्त कक्ष निरीक्षक की तैनती कन्द्राध्यक्ष कर सकते है। समिति अवगत हुई व संस्तुति प्रदान की गई।

5. परीक्षा केन्द्रों में तैनात किये जाने वाले कार्मिकों को दिये जाने वाले मानदेय में सभी कार्मिकों के निर्धारित मानदेय में अतिरिक्त रू0 100/– मानदेय बढ़ाये जाने पर समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई।

6. चतुर्थ श्रेणी कार्मिक के तैनाती मानक में निम्नानुसार संशोधन किये जाने संस्तुति प्रदान की गई।

परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थी संख्या 100 तक 04 न्यूनतम चतुर्थ श्रेणी (बहुउद्देशीय कार्मिक) (MTS) इसके उपरांत प्रत्येक 200 परीक्षार्थियों की संख्या पर एक अतिरिक्त कार्मिक तैनाती किये जाने पर संस्तुति प्रदान की गयी।

0 से 100 तक	04 न्यूनतम
100 से 300 तक	5
301 से 500 तक	6
इसके उपरांत नियमानुसार	

इसके अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र के परीक्षा नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था किये जाने हेतु कुल 02 चतुर्थ कार्मिकों की तैनाती करने व बिन्दु 05 व 06 आगामी परीक्षाओं से लागू किये जाने पर समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी।

7. जिन परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रोनन्त **(Promote)** किया जा रहा है उससे संबंधित परीक्षार्थी जो प्राप्तांकों से सन्तुष्ट नही है ऐसे परीक्षार्थी आगामी परीक्षा (केवल 06 माह के भीतर आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए) सुधार/बैक परीक्षा हेतु किसी भी प्रश्नपत्र में परीक्षा देने हेतु निर्धारित शुल्क जमा कर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि पर आवेदन कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है।

8. **कक्ष निरीक्षक** : एक पाली में 40 तक (अधिकतम 45 तक) न्यूनतम 2 कक्ष निरीक्षक/आरक्षित कक्ष निरिक्षक तथा इसके उपरान्त छात्र संख्या प्रत्येक 20 पर एक अतिरिक्त कक्ष निरीक्षक की तैनाती केन्द्राध्यक्ष कर सकते है। यह व्यवस्था आगामी परीक्षाओं से लागू किये जाने पर समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी।

परीक्षा नियन्त्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड

9. एकल विषय पाठ्यक्रम के परीक्षार्थियों को केवल अंकतालिका/ Transcript निर्गत की जाती है। एकल विषय उपाधि पाठ्यक्रम नही है यह व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा केवल अभ्यर्थियों के विषय संयोजन (Subject Combination) हेतु की गई है। इस हेतु परीक्षार्थियों के हित में अंकतालिका/ Transcript के अतिरिक्त वि0वि0 के लेटर हैड में परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर पर प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा। इस हेतु रू0 100 /– शुल्क परीक्षार्थी ऑनलाइन/ऑफलाइन के माध्यम से जमा कर आवेदन करने पर प्रदान किये जाने पर संस्तुति प्रदान की गई।

बैठक के अन्त में सभी सदस्यों का सचिव, परीक्षा नियंत्रक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक का समापन किया गया।

सदस्य सचिव,
परीक्षा समिति

परीक्षा नियन्त्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड

अध्यक्ष,
परीक्षा समिति

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)